कार्यालय जिलाधिकारी, चित्रकूट।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक : 1412 /खनिज/ई–निविदा/2024–25 दिनांक : 15 /02 /2025

ई–निविदा आमंत्रण हेतु ई–निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद–चित्रकूट की तहसील–कर्वी अन्तर्गत ईमारती पत्थर यथा ग्रेनाइट खण्डा/गिट्टी/बोल्डर के खनन क्षेत्रों में खनन संक्रिया के दौरान क्षेत्र में एकत्र रिजेक्ट पत्थर/ओवरबर्डन सामग्री को निम्न तालिका में उल्लिखित विवरण के अनुसार शासनादेश संख्या–748/86–2022–03(सा0)/2021 दिनांक 20.06.2022 में दिये गये निर्देशों के अधीन ई–निविदा (E-Tendering) के माध्यम से निस्तारित किये जाने हेतु एतद्द्वारा उपलब्ध घोषित करते हुये दिनांक 27.02.2025 से 05.03.2025 तक की अवधि में ई–निविदा पोर्टल https://etender.up.nic.in पर ई–निविदायें निम्नलिखित शर्तों के अधीन आमंत्रित की जाती है–

क्र. सं.	उपखनिज का नाम	लॉट का विवरण				जियो क्वार्डिनेट्स		रिजेक्ट पत्थर/ओवरबर्डन की कुल मात्रा (घ0मी0 में)	शासनादेश दिनांक 20.06.2022 में विनिर्दिष्ट रॉयल्टी की दर (रु0 प्रति घ0मी0)	एकत्रित रिजेक्ट पत्थर/ओवरबर्डन उपखनिज मात्रा की कुल रॉयल्टी (रु0 में) (कॉलम–9 में अंकित मात्रा को कॉलम–10 में अंकित रॉयल्टी की दर से गुणा करने पर उपलब्ध सकल धनराशि)	शासनादेश दिनांक 20.06.2022 में विनिर्दिष्ट प्रतिभूति की धनराशि (कॉलम–11 में अंकित धनराशि का 10 प्रतिशत)
		तहसील	ग्राम	गाटा संख्या	लॉट संख्या	अक्षांश (Latitude)	देशांतर (Longitude)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	रिजेक्ट पत्थर/ओवरबर्डन	कर्वी	गोड़ा	967	A	A-25°11'45.93"N B-25°11'46.85"N C-25°11'48.18"N D-25°11'49.26"N E-25°11'49.24"N F-25°11'48.23"N G-25°11'46.79"N	80°43'51.76"E 80°43'47.95"E 80°43'47.61"E 80°43'48.57"E 80°43'50.32"E 80°43'51.91"E 80°43'52.33"E	6370	100.00	6,37,000.00	63,700.00
2	रिजेक्ट पत्थर/ओवरबर्डन	कर्वी	रौलीकल्याणपुर	2428	B	A-25°11'42.81"N B-25°11'42.20"N C-25°11'43.15"N D-25°11'45.99"N E-25°11'45.74"N F-25°11'44.60"N	80°43'48.13"E 80°43'46.66"E 80°43'45.29"E 80°43'45.98"E 80°43'47.73"E 80°43'49.01"E	7617	100.00	7,61,700.00	76,170.00
2	रिजेक्ट पत्थर/ओवरबर्डन	कर्वी	रौलीकल्याणपुर	2434	C	A-25°11'41.20"N B-25°11'39.82"N C-25°11'38.45"N D-25°11'39.14"N E-25°11'40.33"N	80°43'26.84"E 80°43'29.52"E 80°43'28.25"E 80°43'24.91"E 80°43'24.93"E	7377	100.00	7,37,700.00	73,770.00

1. दिनांक 27.02.2025 से दिनांक 05.03.2025 तक प्राप्त ई–निविदाओं को दिनांक 06.03.2025 को समय अपरान्ह 01:00 बजे से कलेक्ट्रेट स्थित अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), चित्रकूट के कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी द्वारा गठित ई–निविदा समिति द्वारा ई–निविदादाताओं की उपस्थिति में खोली जायेगी।
2. उक्त तालिका में अंकित क्षेत्रों के लिये पृथक–पृथक ई–निविदा दी जायेगी।
3. निविदादाता को अपना नाम, पिता का नाम तथा स्थायी व अस्थायी पता स्पष्ट रूप से ई–निविदा प्रपत्र में अंकित करना होगा।
4. निविदादाता को निविदा के लिए दी गई धनराशि को शब्दों तथा अंकों में स्पष्ट रूप से ई–निविदा प्रपत्र में अंकित करना होगा, इसमें किसी भी प्रकार की कटिंग/अपर लेखन स्वीकार नहीं किया जायेगा। कटिंग/अपर लेखन की स्थिति में ई–निविदा निरस्त समझी जायेगी।
5. निविदादाता को जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी, जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्रधिकृत किया जाये, द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण पत्र, परन्तु जहां आवेदक प्रदेश में पट्टाधारक/परिहारधारक न रहा हो, वहां इस आशय का शपथ पत्र ई–निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

...2...

Scanned with CamScanner

6. सम्बन्धित व्यक्ति को उस जिले के जिलाधिकारी, जहां वह स्थायी रुप से निवास करता है, से जारी चरित्र प्रमाण पत्र, फर्म की दशा में फर्म के प्रत्येक पार्टनर का चरित्र प्रमाण पत्र तथा कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN आवश्यक होगा।
7. उक्त तालिका में अंकित खनिज की मात्रा को हटाये जाने (विक्रय एवं परिवहन करने) हेतु अधिकतम 01 वर्ष की अवधि प्रदान की जायेगी। विशेष परिस्थितियों में जिलाधिकारी द्वारा उक्त अवधि अग्रेतर 01 वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी।
8. उक्त रिजेक्ट पत्थर/ओवरबर्डन की मात्रा के लिये ई–निविदा, प्रति घनमी0 की दर से दी जायेगी, जो शासनादेश दिनांक 20.06.2022 में विनिर्दिष्ट रॉयल्टी की दर रु0 100.00 प्रति घनमी0 से कम नहीं होगी। इससे कम की दर दिये जाने पर ई–निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। प्राप्त सर्वोच्च ई–निविदा की दर (रु0 प्रति घनमी0) को उपरोक्तानुसार आंकलित खनिज की कुल से गुणा कर सम्बन्धित खनिज के लिये ई–निविदा की कुल धनराशि का आंगणन किया जायेगा।
9. ई–निविदा में भाग लेने से पूर्व उपरोक्त तालिका में अंकित उपखनिज की मात्रा, उपलब्धता एवं भण्डारण स्थल के लिये पहुंच मार्ग आदि के सम्बन्ध में मौके का निरीक्षण कर ई–निविदादाता स्वयं अश्वस्त हो लें। ई–निविदा में भाग लेने के पश्चात इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
10. किसी भी क्षेत्र के लिये एकल निविदा (Single Bid) स्वीकार नहीं की जायेगी।
11. यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लि0 को प्रदेश में ई–निवदा कराने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकार को ई–निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नलिखित कार्यवाही करनी होगी–
    (क) ई–निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/बेन्डर्स द्वारा किसी भी सर्टिफाइंग एजेंसी से टाइप–II का डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करना होगा।
    (ख) इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) को यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से https://etender.up.nic.in पर आनलाइंन पंजीयन कराना होगा। पंजीयन हेतु व्यक्ति/फर्म/कम्पनी को ई–निविदा https://etender.up.nic.in के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन फार्म भरना होगा, निविदादाता अपने स्वयं जनित यूजर आई0डी0 व पासवर्ड बनायेंगे।
    (ग) बिडर्स/कान्ट्रैक्टर्स/बेन्डर्स ई–निविदा पोर्टल पर प्रशिक्षण यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
    (घ) निविदा से सम्बन्धित अधिकारीगण, निविदा समिति के सदस्य भी डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करेंगे। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित अधिकारी एवं निविदा समिति के सदस्य यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन से निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
12. निविदादाता द्वारा ऑनलाइन निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करते समय https://etender.up.nic.in पोर्टल पर स्वयं की आईडी लॉगिन कर तकनीकि बिड के समय संलग्न प्रारुप–2 पर सूचनायें भरकर स्कैन प्रति एवं निम्न स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।

प्रारुप–2 की सूचनायें:–

क. विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया है।

ख. विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक।

ग. निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी एवं वर्तमान) ई–मेल एवं मो0नं0।

...3...

Scanned with CamScanner

घ. उस क्षेत्र और खनिज का विवरण, जिसके लिये निविदा प्रस्तुत की गयी है।

ङ. अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रु0 15,000.00 का चालान संख्या व दिनांक।

च. अर्नेस्ट मनी की धनराशि रु0 25,000.00 का बैंक ड्राफ्ट जो जिलाधिकारी के पक्ष में देय होगा।

छ. आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र का क्रमांक।

ज. पैनकार्ड का क्रमांक।

झ. चरित्र प्रमाण पत्र की संख्या व दिनांक तथा जनपद जहां से जारी किया गया हो।

ञ. कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN संख्या।

स्वप्रमाणित अभिलेख/प्रमाण पत्रः—

क. ई—निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु रु0 15,000.00 का अप्रतिदेय आवेदन शुल्क का चालान।

ख. अर्नेस्ट मनी की धनराशि रु0 25,000.00 का बैंक ड्राफ्ट जो जिलाधिकारी के पक्ष में देय होगा।

ग. आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र।

घ. पैनकार्ड।

ङ. जिलाधिकारी या ऐसे अधिकारी, जो जिलाधिकारी द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किया जाये, द्वारा जारी खनन अदेयता का प्रमाण पत्र, परन्तु जहां आवेदक प्रदेश में पट्टाधारक/परिहारधारक न रहा हो, वहां इस आशय का शपथ पत्र।

च. सम्बन्धित व्यक्ति को उस जिले के जिलाधिकारी, जहां वह स्थायी रुप से निवास करता है, से जारी चरित्र प्रमाण पत्र। फर्म की दशा में फर्म के प्रत्येक पार्टनर का चरित्र प्रमाण पत्र तथा कम्पनी की दशा में कम्पनी का DIN आवश्यक होगा।

13. यदि निविदादाता द्वारा बिन्दु संख्या—12 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई—निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है, तो उसकी ई—निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये गये प्रारुप—2 की प्रति तथा बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति व अपलोड किये गये अन्य वांछित अभिलेख निविदा खोले जाने से पूर्व निर्धारित अवधि के अन्तर्गत खनन कार्यालय, चित्रकूट में जमा करना होगा। जिस निविदादाता का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नहीं होगा, उसकी ई—निविदा नहीं खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी। बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक तथा निविदादाता का नाम व मोबाइल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।

14. सर्वोच्च दर देने वाले निविदादाता का चयन, उस क्षेत्र पर भण्डारित उपखनिज के अनुज्ञप्ति दिये जाने के लिये किया जायेगा। सफल निविदादाता द्वारा निविदा डाले जाने के समय ऑनलाइन अपलोड किये गये समस्त अभिलेखों की मूल प्रति से मिलान किया जायेगा। अभिलेखों के मिलान के उपरान्त सही पाये जाने पर समिति के संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा सफल निविदादाता के पक्ष में अधिकतम 01 वर्ष की अवधि के लिये आशय पत्र (लेटर आफ इंटेन्ट) जारी किया जायेगा।

15. देय धनराशि को अनुमन्य अवधि से भाग देकर प्रत्येक त्रैमासिक किश्त का निर्धारण किया जायेगा। प्रत्येक त्रैमासिक में Pay as you go के अन्तर्गत परिवहन की जाने वाली मात्रा के समतुल्य अग्रिम देय धनराशि जमा की जायेगी तथा प्रत्येक त्रैमास के अन्त में देय किश्त की अवशेष धनराशि उसी त्रैमास के अन्तिम दिवस तक जमा करना अनिवार्य होगा। जमा प्रतिभूति धनराशि को यथास्थिति अन्तिम किश्तों में समायोजित किया जायेगा।

...4...

Scanned with CamScanner

16. देय किश्तों की समय पर अदायगी न किये जाने की दशा में स्वीकृत आदेश निरस्त करते हुये जमा प्रतिभूति धनराशि राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।
17. ई–निविदा की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त आशय पत्र निर्गत करने से पूर्व रिजेक्ट पत्थर/ओवरबर्डन से सम्बन्धित खनन क्षेत्र के वर्तमान पट्टाधारक को स्वतः संज्ञान के आधार पर 02 कार्य दिवस के अन्दर जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्ताव, जो उच्चतम बोली से अधिक हो, प्रस्तुत करने हेतु एक अवसर दिया जायेगा।
18. कृत्रिम बालू के उत्पादन हेतु पूर्व से स्थापित संयंत्र या नया संयंत्र स्थापित करने वाले व्यक्ति/पट्टाधारक/फर्म/कम्पनी को सम्पूर्ण देय धनराशि पर 20 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित को संयंत्र स्थापित करने विषयक निबंधन प्रमाण पत्र/अभिलेख प्रस्तुत करना होगा। संयंत्र स्थापित करने सम्बन्धी उक्तानुसार प्रमाण पत्र की पुष्टि एक सप्ताह के अन्दर अपर जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी (खनन) द्वारा की जायेगी। प्रमाण पत्र की पुष्टि के उपरान्त देय धनराशि पर छूट का लाभ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की तिथि से अनुमन्य होगा। उत्पादक द्वारा उत्पादित एम–सैण्ड की गुणवत्ता के सम्बन्ध में निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
19. उत्पादन संयंत्र तक रिजेक्ट पत्थर/ओवरबर्डन का परिवहन ई–प्रपत्र–सी के माध्यम से किया जायेगा। उत्पादित कृत्रिम बालू के भण्डारण हेतु उ0प्र0 खनन (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली–2018 (यथासंशोधित) के अधीन भण्डारण अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी होगी। भण्डारण स्थल से कृत्रिम बालू का परिवहन ई–प्रपत्र–सी के माध्यम से किया जायेगा।
20. निविदादाता को राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा जी0एस0टी0, आयकर विभाग का टी0सी0एस0, जिला खनिज फाउण्डेशन (डी0एम0एफ0) आदि नियमानुसार जमा करना होगा।
21. प्रतिभूति धनराशि के रुप में लॉट की मात्रा को रॉयल्टी दर से गुणा कर आंगणित धनराशि का 10 प्रतिशत जमा किया जायेगा।
22. निविदादाता प्रत्येक वाहन को प्रपत्र–सी सही विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत प्रपत्र सी पर जनित बारकोड को चेकगेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिये आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हें सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली–2021 के नियम–60 के अन्तर्गत शास्ति का भागी होगा।
23. निविदादाता द्वारा सुरक्षा मानकों के अनुसार भण्डारण स्थल से उपखनिज का परिवहन किया जायेगा।
24. ई–विनिदा की बिड को स्वीकार करने अथवा किसी भण्डारण स्थल के लिये उच्चतम बिड को कारण अभिलिखित करते हुये अस्वीकार करने का अधिकार जिलाधिकारी को निहित होगा।
25. मा0 उच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण अथवा मा0 सर्वोच्च न्यायालय, उ0प्र0 शासन अथवा जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।
26. नियमों एवं शर्तों के उल्लंघन के परिणाम स्वरुप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रक्रिया योजित होती है, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन निविदादाता द्वारा किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

27. राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन किया जाता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह निविदादाता को मान्य होगा।
28. स्थानीय स्थिति तथा परिस्थितिजन्य परिवेश को ध्यान में रखते हुये जिलाधिकारी द्वारा लगायी गयी अन्य शर्तें, जो उचित समझी जायें, मान्य होगी।
29. जिलाधिकारी की संस्तुति पर अपरिहार्य परिस्थिति में, उक्त शर्तों के शिथिलीकरण के सम्बन्ध में शासन द्वारा गुणदोष के आधार पर विचार किया जा सकेगा।
30. बिड डाक्यूमेंट, नियमों एवं शर्तों आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी ई–टेण्डर पोर्टल https://etender.up.nic.in पर एवं जिलाधिकारी कार्यालय (खनिज अनुभाग) चित्रकूट तथा जनपद–चित्रकूट के वेवसाइट chitrakoot.nic.in से प्राप्त की जा सकती है।
31. अन्य नियम एवं शर्तेः– जो क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाये।

(शिवशरणप्पा जी0एन0)
जिलाधिकारी
चित्रकूट।

<u>पत्रांक व तद्दिनांकः–</u>
प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
3. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज।
5. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड, अशोक मार्ग, लखनऊ।
6. उपजिलाधिकारी, कर्वी/मऊ/मानिकपुर/राजापुर को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
7. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, चित्रकूट।
8. जिला सूचना अधिकारी, चित्रकूट।

जिलाधिकारी
चित्रकूट।

Scanned with CamScanner

प्रारूप–2

ई–निविदा प्रपत्र

1	विज्ञप्ति, संख्या व दिनांक जिसके द्वारा रिजेक्ट पत्थर/ओवरवर्डन को विज्ञापित किया गया हो	
2	ई–निविदाकार का नाम	
3	पिता का नाम	
4	स्थायी पता	
5	वर्तमान पता	
6	ई–मेल आई डी नम्बर	
7	मोबाइल नम्बर	
8	पैनकार्ड नम्बर	
9	विज्ञप्ति में दी गयी रिजेक्ट पत्थर/ओवरवर्डन के भण्डार की कुल मात्रा	
10	पता के प्रमाण के रूप में निम्न में से कोई एक मान्य होगा–आधार कार्ड/वोटर आई डी/पासपोर्ट/ड्राईविंग लाईसेन्स अथवा राशन कार्ड। फर्म/कम्पनी/निकाय के लिए उसके पंजीकरण का विवरण	
11	खनन देय बकाया न होने के सम्बन्ध में अदेय प्रमाण पत्र अथवा इस आशय का शपथ पत्र कि उनके ऊपर कोई सरकारी देयता नही है।	
12	बैक ड्राफ्ट का विवरण	बैंक का नाम व शाखा.......... बैंक ड्राफ्ट नम्बर.......... धनराशि .... दिनांक
13	उस जिले के जिलाधिकारी, जहाँ ई–निविदाकार स्थायी रूप से निवास करत है, द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, पैन कार्ड एवं आधार कार्ड। फर्म के मामले में प्रोपराइटर/पार्टनर का चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन की प्रति एवं कम्पन के मामले में निदेशक का DN एवं कम्पनी का पैनकार्ड व जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन की प्रति का विवरण	

उपरोक्त उल्लिखित विवरण मेरी जानकारी में सत्य एवं सही है। कोई सनचने छिपायी नही गयी है तथा मैं निविदा आमंत्रण की समस्त शर्तो को स्वीकार करता हूँ।

दिनांक– / /2025

स्थान–

ई–निविदाकार के हस्ताक्षर

Signature Not Verified
Digitally signed by SUDHAKAR SINGH
Date: 2025.02.19 16:14:45 IST
Location: Uttar Pradesh-UP

Scanned with CamScanner